तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अमित भाटी बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां)

सू.अ.अ. अपील संख्या 168/2020

20.10.20

अपीलार्थी अमित भाटी पुत्र मनोहरलाल भाटी, पता सोजतीया घांचियों का बास, कबूतरों का चौक, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.08.20 में उसके द्वारा (1) भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निजी खातेदारों की जमीन अवाप्त करने के लिए आपके कार्यालय से जारी नोटिसेज की प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक भा.मा.परि./अवाप्ति/सूचना अधिकार–2005/2020/851 दिनांक 11.09.2020 द्वारा सूचित किया गया कि चाही गई सूचना व्यक्तिगत से संबंधित होने से देय नहीं हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि चाही गई सूचना राज्य सरकार द्वारा राज्यहित में नीजि खातेदारों की भूमि अवाप्त करने के संबंध में भूमि अवाप्त की सूचना गजट नोटिफिकेशन कर उस क्षेत्र जिला राज्य में प्रचलित समाचार पत्र में जारी किया जाता है अतः उक्त सूचना किसी भी स्तर पर व्यक्तिगत नहीं है।

लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से जरिये पत्रांक/823 दिनांक 07.10.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता के बिन्दु सं. 8 सूचना के प्रकट लिये जाने से छूट के बिन्दु सं. (ञ) के अनुसार सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकातता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा [illegible] पत्रांक भा मा परि/अवाप्ति/सू.अ. 2005/2020/851 दिनांक 11.09.2020 के द्वारा सूचित कर दिया गया।

चूंकि उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष भारत माला परियोजना के तहत विभिन्न नीजि खातेदारों की भूमि की अवाप्ति के लिए लोकहित गजट नोटिफिकेशन किया गया है तथा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रचलन अखबारों में सूचनार्थ प्रकाशन भी कराया जाता है तथा भूमि अवाप्ति का मुआवजा तय कर राजकोष से प्राप्त राशि में से संबंधित खातेदारों को भुगतान भी किया जाता है अतः:हम उपखण्ड अधिकारी औसियां के इस कथन से सहमत नहीं है कि अपीलार्थी

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh Inda
Date: 2021.01.12 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

Digitally signed by Anop Singh In
Date: 2021.01.12 17:29:34 IST
Reason: SelfAttested

/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित [redacted] से एवं जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकातता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, परिणामस्वरूप अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।